



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 अग्रहायण 1947 (श0)

(सं0 पटना 1765) पटना, वृहस्पतिवार, 11 दिसम्बर 2025

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

8 दिसम्बर 2025

सं० 3/एम0-22/2023-22813/सा0प्र0—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित है। उक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है।

2. संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3(1) के प्रावधान के तहत सम्युक्त विचारोपरांत निम्नांकित पद को उपर्युक्त संकल्प की अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है—

क्र०सं०	विभाग का नाम	संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.15 अनुसूची में सम्मिलित किये जाने वाले पद
1.	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	(i) सहायक अभियंता (एक वर्ष के लिए)
2.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय के— (i) मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक (दो वर्ष के लिए)

3. उपरोक्त पद पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 में निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं उक्त पद पर सेवा लेने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1765-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>